रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.–33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 178
No. 180] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934 [N.C.T.D. No. 178

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 23(11)/2012/विसस-4/विधायी.—दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (सन् 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–1) की धारा 6 की उप–धारा (2) के उप–खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के ग्यारहवें सत्र (मानसून सत्र) का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ ।

ह/–
तेजेन्द्र खन्ना
उपराज्यपाल, दिल्ली ।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2012

F. No. 23(11)/2012/LAS-IV/Leg.—The following Order of the Lieutenant Governor, Delhi and dated 25th October, 2012 is hereby published for general information : –

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby prorogue the Eleventh Session (Monsoon Session) of the Fourth Legislative Assembly with immediate effect.

Sd/-
TEJENDRA KHANNA
Lt. Governor of Delhi.

P. N. MISHRA, Secy.

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2012

फा. सं. आर–1063/टीओ(एस)/टीसी–फेलिंग/11–12/3075–3084.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम परियोजना, चरण–III के जनकपुरी पश्चिमी–कालिंदी कुंज कॉरिडोर के लिए कालिंदी कुंज में डिपो के निर्माण के लिए प्रस्तावित 22.28 हैक्टेयर भूमि के भीतर पड़ने वाले 234 पेड़ों को

हटाने संबंधी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार छूट प्रदान करते हैं :—

1. उप वन संरक्षक (उत्तरी) के माध्यम से वन विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल निगम की लागत पर उत्तर वन प्रभाग गढ़ी माण्डु में 6 फुट से अधिक ऊंचाई के 2340 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करेगा अर्थात् दिल्ली मेट्रो रेल निगम से राशि 28,000/- रुपये (अठ्ठाईस हजार रुपये मात्र) प्रति वृक्ष की दर से उप-वन संरक्षक (दक्षिण) द्वारा जमा कराई प्रतिभूति राशि में से वसूली की जाएगी ।
2. दिल्ली मेट्रो रेल निगम, वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु उनके संबंधित कर्मचारियों को सौंपेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2012

F. No. R-1063/TO(S)/TC-Felling/11-12/3075-3084.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of 22.28 Ha proposed for construction of Depot at Kalindi Kunj for Janakpuri West-Kalindi Kunj Corridor of Delhi MRTS Project, Phase-III from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act, involved in removal of 234 trees.

The exemption is subject to the following conditions :

1. The Forest Department through DCF (North) shall raise compensatory plantation of 2340 No. of tall saplings of more than 6 feet height at Garhi Mandu in North Forest Division at the cost of DMRC i.e. by realizing the Security Deposit amount @ Rs. 28,000/- per tree from DMRC by DCF (South).
2. Wood obtained on removal of trees shall be handed over by the DMRC to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy. (Env. & Forests)

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 7(433)/नीति-II/वैट/2012/824-834.— मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16-8-2012 को जारी अधिसूचना सं. फा. 7(433)/नीति-II/वैट/2012/472-483, जो कि प्रपत्र स्टाक-1 में दी जाने वाली सूचना से संबंधित है, में आंशिक आशोधन करते हुए निर्देश देता हूँ कि यह अधिसूचना अब दिनांक 16 नवम्बर, 2012 से प्रभावी होगी ।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2012

F. No. 7(433)/Policy-II/VAT/2012/824-834.— I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 70 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, hereby direct that Notification No. F. 7(433)/Policy-II/VAT/2012/472-483, dated 16-8-2012, regarding submission of information in Form Stock-1, shall in partial modification to the said notification, come into force with effect from the 16th November, 2012.

PRASHANT GOYAL, Commissioner,
Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.